P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-6* ISSUE-3* June- 2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

बाल-आश्रमों में निवासित बालकों की शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता एवम् मूल्यों के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों का प्रयास

Efforts of Various National Policies for Education, Equality of Educational Opportunities and Development of Values of Children Residing in Children's Homes

Paper Submission: 04/06/2021, Date of Acceptance: 24/06/2021, Date of Publication: 25/06/2021

सपना वर्मा
सहायक आचार्या,
वनस्थली विद्यापीठ,
जयपुर, राजस्थान, भारत

अर्चना यादव
शोधार्थी,
शिक्षा संकाय,
वनस्थली विद्यापीठ,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारतवर्ष में आज भी आर्थिक आधार, लिंग, जाति, भाषा, धर्म एवं क्षेत्र के आधार पर विषमताएँ हैं। “अवसरों में समानता” शिक्षा का प्रमुख सामाजिक उद्देश्य है। इसी आधार पर निर्बल, निःशक्त, निराश्रित, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बालको की शिक्षा पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनके लिए विशिष्ट व्यवस्थाएँ कर 'बाल नीति' भी बनाई गई है। “चाइल्ड इन एशिया” सेमीनार में डॉ0 कान्ड्रा प्रान्डली ने इस बात को इंगित किया कि “भारत ऐसा पहला देश था, जिसने बालकों के लिए राष्ट्रीय बाल नीति बनाई”। इस प्रकार भारत में प्रत्येक बालक चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो अथवा निर्बल, निःशक्त, निराश्रित हो उसकी शिक्षा का प्रयास सरकार व अन्य संगठनों द्वारा किया जा रहा है। किन्तु भारतीय समाज में कुछ बालक ऐसे भी हैं, जो निराश्रित हैं व जिनके पास कोई घर या परिवार नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार,“6 से 14 वर्ष के 18.33 करोड़ बालकों में से 0.8 प्रतिशत से अधिक बालक निराश्रित की श्रेणी में आते हैं।“ इतनी अधिक संख्या में मौजूद निराश्रित बालकों की ओर अगर ध्यान नही दिया गया तो देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।

यद्यपि भारत में संवैधानिक तौर पर सभी बालकों को समान अधिकार दिए गए हैं तथापि समाज में यह वर्ग ऐसा है, जो सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक वंचितीकरण से जूझ रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में प्रत्येक वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य व गरिमा प्रदान करने में देश के कर्णधारों ने सक्रिय भूमिका निभाई है। अनुच्छेद 45 के 6-14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के साथ ही शिक्षा के सुधार हेतु गठित सभी आयोगों एवं समितियों ने मूल्य शिक्षा के विकास पर बल दिया हैं। इस शोध पत्र में स्वतन्त्रता के पश्चात् विभिन्न नीतियों एवम् राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निराश्रित बालकों हेतु मूल्य शिक्षा के लिए किये गये विभिन्न प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं। प्रस्तुत शोध पत्र इस आशा के साथ लिखा गया है कि यह निराश्रित बालकों के मूल्य शिक्षा के विकास से सम्बन्धित विषय को एक केन्द्रीय प्रसंग बनाते हुए, इस विषय की गंभीरता या महत्ता को समझने में मददगार होगा।

Even today there are disparities in India on the basis of economic base, gender, caste, language, religion and region. "Equality of opportunities" is the main social objective of education. On this basis, special attention has been paid by the Central and State Governments to the education of weak, disabled, orphans, Scheduled Castes and Scheduled Tribes children. Keeping in view the needs of these children with special needs, a 'Children Policy' has also been made by making special arrangements for them. In the “Child in Asia” seminar, Dr. Kendra Prandley pointed out that “India was the first country to formulate a national child policy for children”. In this way, every child in India, whether he is of any religion, caste, gender or weak, disabled, orphan, efforts are being made for his education by the government and other organizations. But there are some children in Indian society who are destitute and who do not have any home or family. According to Census 2011, “More than 0.8 percent of the 18.33 crore children in the age group of 6 to 14 years fall in the category of destitute.” If such a large number of destitute children are not given attention, then the progress of the country will be hampered.

Although constitutionally equal rights have been given to all children in India, yet this class in the society is suffering from social and psychological deprivation. Before independence, there was no system of education for every class in our country, but after independence, the society The leaders of the country have played an active role in providing education, health and dignity to the weaker sections of the society. Article 45 provides for free and compulsory education to all children up to the age of 6-14 years, as well as all the commissions and commissions set up for the improvement of education. The committees have given emphasis on the development of value education. In this research paper, various policies have been given after independence and various provisions made for value education for destitute children in the National Education Policy 2020. That it will be helpful in understanding the seriousness or importance of this subject, making the subject related to the development of value education of destitute children a central theme.

मुख्य शब्दः बाल-आश्रम, मूल्य, शिक्षा, निराश्रित बालक, समाज, विद्यार्थी, अवसरों की समानता।

Children's Home, Values, Education, Destitute Child, Society, Students, Equality of Opportunity.

प्रस्तावना

शिक्षा जहाँ एक ओर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, वहीं दूसरी ओर वह उसे प्रत्येक परिस्थिति में कार्य एवं समायोजन करने के योग्य भी बनाती है। व्यक्ति की कार्य कुशलता, व्यवहार, समायोजन, समस्या समाधान आदि व्यक्तित्व के अनेक पक्ष ऐसे हैं जहाँ व्यक्ति अपने विवेक से कार्य करता है तथा सफलता प्राप्त करता है। शिक्षा ही व्यक्ति में आत्मनिर्भरता, आत्मचिन्तन को पैदा करती है तथा उसमें विवकेशीलता, तर्कशीलता, निर्णय शक्ति का विकास करती है। राष्ट्र की प्रगति समाज और समाज की प्रगति वहाँ के शिक्षित बालकों व युवाओं पर निर्भर करती है। वर्तमान युग का बालक भावी राष्ट्र का नागरिक होगा, उसके प्रदत्त अनुभवों व विचारों का विश्व पटल पर मंचन होगा, जिस प्रकार के बालक वर्तमान समाज में होगें, वैसा ही रूप भविष्य में राष्ट्र का होगा, यदि समाज में रहने वाले व्यक्तियों की अवधारणा सही विकसित होगी तो वे अपनी इस प्रतिभा को समाज के लिए प्रयोग में ला सकेगें।

अधिगम व्यवहार अधिगम की एक सतत् प्रक्रिया है। जब बालक को किसी प्रकार की मनोसामाजिक समस्या चिन्ता, संवेगात्मक परिपक्वता, सुरक्षा, आत्म-सम्मान, प्यार एवं लगाव, अकेलापन आदि हो तो यह कहीं ना कहीं बालक के व्यक्तित्व को आकार देने में व्यवधान डालती है उसी से, अधिगम व्यवहार भी प्रभावित होता है। सेडलिन (2019) ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि जिन बच्चों को घर व विद्यालय में सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त होती है उनमें अधिगम व्यवहार बेहतर पाया जाता है।

औजोमन एवं विलकिनसिन (2018) ने यह पाया कि जिन बच्चों का विद्यालयी व पारिवारिक वातावरण सकारात्मक होता है, उनमें अधिगम व्यवहार का उचित विकास होता है। उपर्युक्त शोधों से पता चला कि अधिगम व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक बालक की रूचि योग्यता, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, विद्यालयी वातावरण एवं पारिवारिक वातावरण से प्रभावित होते है। व्यक्ति की जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया अधिगम व्यवहार बालक के बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। यदि बालक को अपने माता-पिता से प्यार सुरक्षा, संरक्षण, जरूरते, स्वतंत्रता, आर्थिक सहायता उचित रूप से मिलती है तो बालक को सामान्यतः किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। लेकिन कारणवश उपयुक्त सुविधा ना मिले तो बालक में विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। उस समस्याओं के कारण बालक के अधिगम व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।

माता-पिता का बालक के साथ स्वाभाविक रूप से ही मनोवैज्ञानिक लगाव होता है। बालक माता-पिता एवं बालक के मध्य निर्मित स्नेह का बन्धन उसके मनो-सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व होता है। यदि शिक्षा की बात की जाये तो परिवार ही बालक का प्राथमिक विद्यालय व माँ उसकी प्रथम गुरु होती है। जब बालक के पास न तो उसका प्रथम विद्यालय रहेगा और न ही उसकी प्रथम गुरु, ऐसी स्थिति में बालक शिक्षा एवम् दूसरी चीजों में पिछडता है। किन्तु भारतीय समाज में कुछ बालक ऐसे भी हैं, जो निराश्रित या असहाय हैं, शिक्षित सामान्य वर्ग के अतिरिक्त एक ऐसा कमजोर वर्ग जो सामान्य वर्ग से पिछडा हुआ तथा सामान्य अधिकारों से वंचित है। जिनके पास कोई घर या परिवार नहीं है। उनके पालन-पोषण हेतु उनके माता-पिता नहीं है, उन्हें पारिवारिक वातावरण प्राप्त न होने के कारण उनका व्यक्तित्व विकास व उनकी शिक्षा उचित प्रकार से नहीं हो पाती। समाज में इन निराश्रित बालकों में से बहुत से बाल श्रमिक अथवा बाल-अपराधी बन जाते हैं, किन्तु कुछ भाग्यशाली बालक ऐसे हैं, जिनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी किसी बाल-आश्रम द्वारा ले ली जाती है।

बाल-आश्रम में रहने वाले बालक

इस देश में हजारों बालक ऐसे भी हैं, जो अभिभावकोंकी मृत्यु, अवैध जन्म, अभिभावकों को जेल होने, प्राकृतिक आपदाओं जैसे-भूकम्प, बाढ़ या आतंकवाद का शिकार होने के कारण परिवार से बिछुड़ जाने, गरीबी, बीमारी एवं तलाक के कारण बालक को त्याग देने, बालक का बाजार, मेले, रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ भरे स्थानों में माता-पिता से बिछुड जाने, बालक के घर से भागकर आने आदि कारणों से गृहविहीन होकर बाल-आश्रम में निवास कर रहे हैं। विपरीत परिथितियाँ होने के कारण ये बालक समाज की मुख्य धारा से कटे होते हैं। ऐसे बालक माता-पिता का स्नेह प्राप्त नहीं कर पाते तथा स्वयं को विलग, परित्यक्त एवं असहाय महसूस करते हैं। बालक की गृहविहीन स्थितियाँ उसे असुरक्षित, कुण्ठाग्रस्त और विलग-भाव से ग्रसित बना देती हैं।

अध्ययन के उद्देश्य

1. बाल-आश्रमों में निवासित बालकों के मूल्य विकसित करने का प्रयास करना।
2. निराश्रित बालको को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने का प्रयास करना।
3. समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था के लिए तैयार करना।
4. बाल-आश्रमों में निवासित बालकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिए गये मूल्यों के सम्बन्ध में जागरूक बनाना।

पूर्व निर्धारित नीतियों में बाल-आश्रमों में निवासित बालकों की शिक्षा एवं शैक्षिक अवसरों की समानता से सम्बन्धित प्रावधान

स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश में प्रत्येक वर्ग की शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य व गरिमा प्रदान करने में देश के कर्णधारों ने सक्रिय भूमिका निभाई है और इसी के परिणामस्वरूप सभी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं समानता का लक्ष्य निर्धारित किया है। बाल-आश्रमों में निवासित बालकों की मूल्य शिक्षा पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित विभिन्न नीतियों में अनेक प्रावधान किये गये है :

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (1933) में भी निराश्रितों, बुढापे, वैधव्य, रोग एवं दुर्बलता की स्थिति में इनकी सहायता हेतु छः कन्वेन्शन व एक सिफारिश स्वीकार की गई हैं।

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) ने शिक्षा का महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थपित करना बताया है, ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकारों वाले वर्ग एवं व्यक्ति अपनी दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सकें। आयोग के अनुसार, "वह हर समाज जो सामाजिक न्याय को महत्व देता है, साधारण जन की स्थिति सुधारने तथा समस्त उपलब्ध प्रतिभा को विकसित करने के लिए चिन्तित है, उसे जनता के सभी वर्गो के लिए अवसरों की अधिकाधिक समानता सुनिश्चित करनी चाहिए"।

इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के प्रस्ताव 1968 में शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया है। उनमें ग्रामीण और अन्य पिछडे क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन की समाप्ति, छात्रवृतियाँ प्रदान करके वंचित वर्गो के अलगाव की रोकथाम, लडकियों, आदिवासियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए शैक्षिक सुविधा की व्यवस्था के सुझाव दिए हैं।

राष्ट्रीय बाल नीति (1974) के अनुसार, "राज्य मानता है कि प्रत्येक बालक को जीवन का सहज अधिकार है। राज्य को जहाँ तक हो सके बच्चे का उतरदायित्व एवं विकास सुनिश्चित करना चाहिए वही राज्य बालकों को जन्म से पहले व बाद में उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास की अवस्थाओं के दौरान पर्याप्त सेवायें प्रदान करेगा"। यह नीति 22 अगस्त 1974 को अपनाई गई। इस नीति की घोषणा में बालको को राष्ट्र की महत्वपूर्ण सम्पत्ति घोषित किया गया है। आज कोई भी राष्ट्र बालकों के महत्व को उपेक्षित नही कर सकता। बाल समाज जितना स्वस्थ, शिक्षित, सशक्त, क्रियाशील, प्रशिक्षण से परिपक्व एवं अनुशासित होगा, समाज उतना ही उन्नतिशील होगा। इस नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मानवीय संसाधनों के विकास हेतु राष्ट्रीय योजनाओं में बालकों के कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जाये। इसके अन्तर्गत कई मापक निर्धारित किये गये हैं, जैसे-एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम, माताओं व बच्चों के लिए पूरक पोषाहार, चौदह साल तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा व सृजनात्मक व मनोरंजक क्रिया कलापों को बढ़ावा, कमजोर तबके जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों के लिए विशेष ध्यान, बालकों के शोषण की रोकथाम इत्यादि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) एवं उसके क्रियान्वयन में भी अवसरों में समानता के लिए शिक्षा की बात दोहराई गई है। उसमें कहा गया है कि अभी तक जो लोग समानता से वंचित रह गए है उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान देकर सरकार समानता पर विशेष बल देगी । 1986 की शिक्षा नीति में महिलाओं अनुसूचित जातियों, जनजातियों, शैक्षिक रूप से पिछडे वर्गो और क्षेत्रों, अल्पसंख्यकों को निर्देश दिए जिनका उद्देश्य उन्हें अज्ञानता व दमन से मुक्ति दिलाना था किन्तु यह दुःख का विषय है कि इस नीति में निराश्रित बालकों की समस्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया।

उपर्युक्त संदर्भो के आधार पर भारत में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें सभी को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हैं। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के साथ ही 2002 में इसी बात को मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। यह सर्वमान्य तथ्य है की जब भी समाज के विभिन्न वर्गों ने शासन के साथ मानवीय संसाधनों के विकास को महत्व दिया हैं। राज्य, देश व समाज ने विकास की नई ऊँचाईयों को छुआ हैं। राज्य सरकार ने देश के चहुँमुखी विकास हेतु सर्वाधिक जोर 'शिक्षा' पर दिया है। इसी के परिणामस्वरूप इस दिशा में न केवल सरकारी प्रयास हुए हैं बल्कि कई गैर सरकारी संगठन भी शिक्षा की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी के फलस्वरूप देश में स्वतन्त्रता के समय की 14% साक्षरता दर आज 74.04% (भारत की जनगणना, 2011) पर आ गई है। यद्यपि करोड़ों रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च हो रहे हैं, किन्तु अभी तक वांछित उपलब्धी प्राप्त नहीं हो पाई है, जो एक विकासशील देश के लिए चिंता का विषय है। नीचे दी गई सारणी सं० 1.2 से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से आज तक की भारत की महिला एवं पुरुष साक्षरता प्रतिशत देखने से पता चलता है की हमें अब भी सभी की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास करना हैI

भारत सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा होगी तो विकास होगा, लोगों की आर्थिक, सामाजिक दशा सुधरेगी, कुरीतियों का समापन होगा तथा लोगों में न्याय पाने का विश्वास आएगा| इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राष्ट्र सवार्धिक जोर शिक्षा पर दे रहा है। भारत में साक्षरता प्रतिशत को बढ़ाने की दृष्टि से कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे- मिड-डे-मील, सर्व शिक्षा अभियान, एकीकृत शिक्षा योजना, विधा लक्ष्मी योजना, प्रधान शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा परियोजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पढ़े भारत बढ़े भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,

शिशु विकास योजना 2020 इनके कुछ उदाहरण हैं जिनके द्वारा शिक्षा के सार्वभौमीकरण प्रयास किया गया है | गाँव के प्रत्येक एक किलोमीटर क्षेत्र में विद्यालय खोलकर शिक्षा सुविधाएं बढाई गई हैं|

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित मूल्यों की समीक्षा

नई शिक्षा नीति शिक्षा में पुनर्जागरण अवश्य लाएगी क्योंकि यह निश्चित तौर पर ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करेगी जो मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली होगी, मशीन नही । एक ऐसा मनुष्य जिसके मूल में राष्ट्रीयता हो और जिसके मर्म में मानव मूल्य हों :

क्षेत्रीय भाषाओं और भारतीय मूल्यों को महत्त्व

नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा प्रभाव मातृभाषा में शिक्षा के महत्त्व से देखा जा सकता है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी के मुताबिक, '1984 में जो नई शिक्षा नीति बनी थी, उसमें एक बड़ी कमी थी। वह भारतीय मूल्यों से तालमेल नहीं खाती थी। प्रमुख राष्ट्रीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था और उन्हें सिर्फ सह-पाठ्यक्रम के रूप में जगह दी गई थी | भारतीय संस्कृति, कला, भाषा और संस्कृति शिक्षा नीति 2020 में मुख्य तत्व बनने वाले हैं।' वो कहते हैं कि, 'नैतिक मूल्यों के बगैर कोई भी शिक्षा व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। नई नीति नैतिक मूल्यों पर बनेगी जो भारत में निहित है। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से विद्यार्थियों को सिर्फ मौलिक अधिकार ही नहीं, मौलिक कर्तव्य भी पढ़ाए जाएंगे, जो प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक प्रचलनों पर आधारित होंगे।' यही नहीं संस्कृत, पाली और प्राकृत जैसी भारतीय भाषाओं पर फिर से जोर दिया जायेगा।

बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा का मूल्यों पर प्रभाव

छात्र के शैक्षणिक और व्यवहारात्मक नतीजों पर प्री-स्कूल की शिक्षा, समाजीकरण और स्कूल तत्परता के अनुभवों के असर को प्रमुखता से सामने रखा गया है। बच्चों में स्कूल तत्परता से जुड़े सभी पहलुओं के विकास पर जोर दिया गया और किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के बुनियादी वर्षों को भी प्रमुखता से सामने रखा गया है। प्री-स्कूल शिक्षा व्यवस्था में गतिविधियों, आनंदपूर्ण, खेल-कूद और खोज आधारित शिक्षा की भूमिका और इसे लागू करने के बारे में विस्तार से व्याख्या की है। नई शिक्षा नीति में सभी साझेदारों के बीच मजबूत संचार के महत्व पर विस्तार से बताया गया है। शुरुआती वर्षों में बच्चों के सर्वांगीण विकास और बढ़ती उम्र के साथ कौशल विकास पर भी व्याख्या की गई। एनसीईआरटी ने जानकारी दी की उन्होंने प्री-स्कूल शिक्षा के लिए दिशा-निर्देश और पाठ्यक्रम बनाया है। बच्चों को एक प्रभावी और गुणवत्ता आधारित पाठ्यक्रम को पढ़ने पर जोर दिया जाएगा। एनईपी, विषयों, धाराओं और चयन जैसी अड़चनों व सीमाओं के बगैर छात्रों के लिए बहुविषयी और व्यापक विकास का अवसर उपलब्ध कराती है। इसमें विषय के अध्ययन, पाठ्यक्रम, सह-पाठ्यक्रम, व्यावसायिक और अकादमिक धाराओं में कोई सख्त विभाजन नहीं किया गया है। जैसे :

व्यापक विकास या शिक्षा, हमें जीवन भर आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए रचनात्मकता और तकनीकी ज्ञान का एक साथ होना जरूरी है। बहुविषयी और व्यापक शिक्षा आज के समय की जरूरत है। लचीलापन, एनईपी-2020 का बुनियादी सिद्धांत है और एनईपी के सभी खंडों में अलगावों को हटाने या दूर करने की कोशिश की गई है। एकीकरण और समन्वय ही व्यापक विकास का आधार है। सभी तरह के ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है और शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद हानिकारक पदानुक्रम को खत्म करता है। प्री-स्कूल (आंगनबाड़ी) से उच्च शिक्षा को एकीकृत करता है।रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, बहुभाषावाद और भाषा की ताकत, जीवन कौशल जैसी बातों को बढ़ावा देता है। एनईपी पूरी तरह से निष्पक्षता और समावेशन पर आधारित है। यह स्वायत्तता, स्वशासन और सशक्तिकरण के जरिए नवाचार और लीक से हटकर सोचने को बढ़ावा देती है। एनईपी विषयों के चयन में लचीलेपन के जरिए छात्रों को सशक्त बनाती है। यह हर छात्र में छिपी हुई प्रतिभा की पहचान करने का समर्थन करती है।

भारत और भारतीयता पर जोर

नई शिक्षा नीति में इस भावना का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की गई है। नई शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्तियों को स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाए और जिसकी जड़ें देश के संस्कार और संस्कृति में जमी हों। शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को यह सहजता के साथ अपने साथ लेकर चल सके और उनका ड्रॉपआउट रेट कम हो जाए। हमेशा से शिक्षा में लचीलेपन पर जोर दिया है, जिससे शिक्षा भी मिले और भविष्य में रोजगार भी मिले। यही वजह है कि यह प्रभाव विषय की विषयवस्तु पर भी दिख सकता है अब अलग-अलग स्तरों पर नए सिलेबस में सुधार की पहल भी शुरू कर दी गई है। कई संगठन इस काम में लग गए हैं कि सिलेबस से क्या हटाना है और उसमें कौनसी बातें जोड़नी हैं। कोठारी के मुताबिक, 'हमने नई शिक्षा नीति के लिए सुझावों की एक लंबी लिस्ट दी थी जिसे शामिल कर लिया गया और अब हम सिलेबस में बदलाव के लिए सुझाव देंगे, जिससे कि यह नई शिक्षा नीति ज्यादा सही तरीके से लागू हो सकेगी।' इससे सम्बन्धित कार्य शुरु कर दिए गये है जिसमें इतिहास की किताबों को भारतीय नजरिए से फिर से लिखने का काम भी शामिल है ताकि भारतीय परिवेश में सभी वर्गों के विद्यार्थियों में उचित मूल्यों भारतीयता का समावेश किया जा सके।

भारतीय ज्ञान पद्धति से प्रभावित

नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान पद्धति पर आधारित है। क्योंकि पूर्व शिक्षा नीतियों में इस पहलू को जानबूझकर छोड़ दिया गया था, जो कि हजारों वर्ष पुरानी है। कोठारी का कहना है क्रिश्चियन मिशन और मदरसों को भी नई शिक्षा नीति जरूर अपनाना चाहिए। क्योंकि, एक पूर्ण शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों के विकास में भी सहायक होगी और भविष्य में उनके रोजगार में भी लाभकारी साबित होगी। हालांकि, शिक्षा की सभी संगठनों के लोगों को भी लगता है कि नई शिक्षा नीति का असर दिखने में समय लगेगा। उनका मानना है कि यह नीति उन तत्वों को किनारे कर देगी, जो पश्चिमी संस्कृति और वामपंथी विचारधारा के जरिए थोपी गई थी। यह नीति पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को कम करके भारत के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान कर पिछड़े एवम् निराश्रित बालकों में भारतीयता एवम् अपनेपन का संचार करेगी।

निष्कर्ष

विश्व में बहुत बड़ी संख्या में बालक एवं बालिकाएँ बाल-आश्रमों में निवासित हैं। इन बाल-आश्रमों में बच्चों को माता-पिता का प्यार एवं सानिध्य प्राप्त नही होने के कारण उनमें अलगाव भावना एवं हीनभावना जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं। अकेलापन जहाँ बालकों की सफलता व विफलता को निर्देशित करता है वहीं सफलता व विफलताएँ उनकी मूल्य शिक्षा को भी प्रभावित करती हैं। प्रस्तुत तथ्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे बालकों में मूल्य शिक्षा का अभाव पाया जाना सम्भावित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 45 के 6-14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के साथ ही शिक्षा के सुधार हेतु गठित सभी आयोगों एवं समितियों यथा-विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग (1948) माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) व राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने इन वर्गो के शैक्षिक विकास हेतु सुझाव दिए है। इसी दिशा में आगे बढते हुए सन् 2002 में शिक्षा को मूल अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया है। निराश्रित बालकों के हितों की रक्षा हेतु विभिन्न नीतियों में मूल्य शिक्षा से सम्बंधित अनेक प्रावधान शामिल किये गये हैं। अतः प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्ष में कहा जा सकता है की पूर्व में निर्धारित अन्य नीतियों की भांति नई शिक्षा नीति 2020 में भी निराश्रित बालकों की मूल्य शिक्षा के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में बाल-आश्रमों में निवासित बालकों की शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता एवम् मूल्यों के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों द्वारा किये गये प्रयासों एवम् महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा करने का प्रयास किया गया है, साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों द्वारा निराश्रित बालकों की शिक्षा तथा विकास हेतु किये गये महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति जागरूकता करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *अहूजा, एम. और गोयल, एस. (2015). एक किशोर की उपलब्धि एवं शैक्षिक आकांक्षा में अभिभाविकों के योगदान का अध्ययन, इंडियन जरनल ऑफ एपलाईड साइकोलॉजी, वॉल्यूम 42, नं. 5, जुलाई 2015, पृष्ठ संख्या 57-62*
2. *ऐकन, एम. और हाग्रे (2011). व्यवसायिक अलगावः एक तुलनात्मक विश्लेषण,नेशनल पब्लिशिंगहाऊस, एडिसन 3, अगस्त 2011, पृष्ठ संख्या 1-2*
3. *कालिया, ए. के. (2012). वैल बिंग ऑफ अडोल सैन्टस् इन रिलेशन टू जैन्डर एण्ड एकडेमिक अचिवमेंट, जरनल ऑफ एजुकेशनल एण्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च, वॉल्यूम 5, न.1, जनवरी 2012, पृष्ठ संख्या 56-62*
4. *कौर, एस. (2016). अधिगम अक्षमता और बिना अधिगम अक्षमता वाले बालकों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, जनरल ऑफ एजुकेशनल एण्ड साइकोलॉजिकल रिसर्च,वॉल्यूम-6, न.1, जनवरी 2016, पृष्ठ संख्या 27-32*
5. *खत्री, एस. (2019). परिवार एवं बाल- आश्रम में पोषित बालिकाओं की शैक्षिक आकांक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, जरनल ऑफ टीचर एसोसिएशन, वॉल्यूम 7, नं. 2, जून 2017, पृष्ठ संख्या 44-51*
6. *खान, वाई.जी.(2009). लेवल ऑफ एजुकेशनल एसपिरेशन टैस्ट, एच. पी. भार्गव बुक हाऊस, आगरा, पृष्ठ संख्या 1*
7. *गुप्ता, एम. (2000) शिक्षा संस्कार की उपलब्धि, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या -1*
8. *गुप्ता, जे. (2016). परिवार में पोषित एवं संस्था में निवासित अनाथ बालकों की दुष्चिन्ता, आत्मप्रत्यय एवं निर्भरता का अध्ययन, अमेरिकन सोसियोलॉजीकल रिव्यू, वॉल्यूम 24, नं. 5, दिसम्बर 2016, पृष्ठ संख्या 54-61*
9. *चौधरी, वी. (2017). माध्यमिक विधालय के विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि का सहसम्बन्धात्मक अध्ययन, इंडियन साईकोलॉजिकल रिव्यू, वॉल्यूम 69, स्पेशल इसू, 2017, पृष्ठ संख्या 67-74*
10. *औजोमन एवं विलकिनसिन (2018). स्टडी ऑन एजुकेशनल एस्पिरेशन ऑफ इंस्टीटूशनल चिल्डरन् ऑफ इंदौर, इंटरनेशनल जरनल ऑफ साइकॉलोजी, वॉल्यूम 6, नं. 1, मार्च 2016, पृष्ठ संख्या 14-21*
11. *नागर, डी. आर. (2017). हरियाणा के निराश्रित गृहों में निवासित एवं सामान्य बालकों की विलग-भावना का उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन, इंडियन साइकोलॉजिकल रिव्यू,वॉल्यूम 60, नं. 1, जुलाई 2017, पृष्ठ संख्या 14-21*
12. *पारिक, उदय (2017). दिल्ली के बाल सुधार गृहों में रहने वाले अपराधी बालकों के आत्मप्रत्यय का अध्ययन, प्राची*

जरनल ऑफ साइको-कलचर डायमेनसनस,वॉल्यूम-21, नं. 2, अक्टूबर 2017, पृष्ठ संख्या 67-72

13. *पियरसन, डी. एम. (2015). ईगो एण्ड डिसक्रेपैन्सी बिटविनकोनसियस एण्ड मोटर स्किल, न्यू देहली पब्लिकेशन हाऊस, एडिसन 4, पृष्ठ संख्या 691-692*
14. *मंगल, एस. के. (2008) विद्यार्थी, अधिगम एवं संज्ञान, टंडन पब्लिकेशनस्, बुक मार्केट, लुधियाना, पृष्ठ संख्या 170*
15. *मेमन, एम. एल. (1957) शिक्षा एवं समाज, गार्गी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 42*
16. *शर्मा, आर. आर. (2015). अलगाव मापनी, नेशनल साइकोलॉजिकल कोर्पोरेशन, आगरा, पृष्ठ संख्या 1-2*
17. *शर्मा, वी. पी. और गुप्ता, ए. (2015). शैक्षिक आकांक्षा मापनी, नेशनल साइकोलॉजिकल कोर्पोरेशन, आगरा, पृष्ठ संख्या 1-2*
18. *सिंह, ए. के. (2016). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ठ संख्या 693 और 722*
19. *सिंह, एस. (2016). माध्यमिक स्तरीय विद्यार्थियों के शैक्षिक आकांक्षा स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि के सम्बन्ध में अध्ययन, जरनल ऑफ एजुकेशनल एण्ड साईकोलॉजिकल रिसर्च, वॉल्यूम 51, नं.-2, अक्टूबर 2016, पृष्ठ संख्या 42-47*
20. *स्पिट्ज, एन. (2017). ए स्टडी ऑन चिल्डरन् लिविंग इन नर्सरी एण्ड फोन्डलिंग होम इन रिलेशन टू देयर अलीनेशन, जनरल ऑफ कोम्यूनिटी गाइडैन्स एन्ड रिसर्च, वॉल्यूम 33, नं. 1, मार्च 2017, पृष्ठ संख्या 47-53*
21. *स्पिट्ज, एन. एंड वुल्फ के. एम. (2017). बालक का माँ से अलग होकर बाल-आश्रम में रहने पर समस्याओं का अध्ययन, जरनल ऑफ सोशल रिलेशनस्, वॉल्यूम 16 (फर्स्ट क्वार्टर), नं. 4, मई 2017, पृष्ठ संख्या 42-48*
22. *हरोल्ड, ई. मितरेल (1982). इनसाइकलॉपिड़िया इन एजुकेशनल रिसर्च, 5वॉ एडिशन, वॉल्यूम 3*
23. *हिल्ड़ा लेविस (2016). बैकग्राउन्ड ऑफ हैल्पलैस चाइल्ड (फस्ट एडिसन), न्यूयॉर्कः डेल पब्लिशिंग कोर्पोरेशन, मार्च 2016, पृष्ठ संख्या 57*